



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 08.09.2022

नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी ओमबीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त- ओमबीर पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला द्वारा वर्ष-2014 में नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0- 180/2014 धारा 452/376/511/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 08.09.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त ओमबीर को दोषी पाते हुए धारा 376/511 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- ओमबीर पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 08.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 335/22 धारा
147/323/504/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री सुभाष पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. रोहताश पुत्र समे सिंह 2. पूनम पत्नी रोहताश 3. मोनू पुत्र रोहताश 4. अनुज पुत्र रोहताश 5. सोनू पुत्र रोहताश निवासीगण ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के द्वारा एक राय होकर वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर मारपीट की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 335/22 धारा 147/323/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 335/22 धारा 147/323/504/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रोहताश पुत्र समे सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.09.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक गाड़ी बोलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 04 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक गाड़ी बोलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 04 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0- 869/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मोनू उर्फ मानवर पुत्र महबूब निवासी आर्यनगर कस्बा लोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुये 04 पशु ।
- एक गाड़ी बोलेरो पिकअप न0 DL- 1LAF- 8825

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 579 कौशल शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-हो0गा0 346 दिनेश थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 864/22 धारा 323/504/506/325/353 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री गजेन्द्र सिंह अवर अभियंता 33/11 केवी सब स्टेशन बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 05.09.22 को ज्ञान एन्क्लेव बडौत रोड बागपत के रहने वाले अभियुक्त राहुल पुत्र महीपाल द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया



तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 864/22 धारा 323/504/506/325/353 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 864/22 धारा 323/504/506/325/353 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र महीपाल निवासी ज्ञान एन्क्लेव बडौत रोड बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 787/22 धारा 307 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री विपिन पुत्र रामनिवास निवासी सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 10.08.22 को अभियुक्त 1. शौचन्द्र पुत्र रामे 2. निशान्त पुत्र शौचन्द्र 3. राजा पुत्र देवेन्द्र 4. प्रशांत पुत्र शौचन्द्र



निवासीगण ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर धारदार हथियार से वादी के भाई सचिन के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला करना, जिससे वादी के भाई सचिन के शरीर में गम्भीर चोट आई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 787/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 787/22 धारा 307 भादवि मे वांछित अभियुक्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-निशान्त पुत्र शौचन्द्र निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 806 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 08.09.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1. मोगली उर्फ राकेश पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

2- का0 980 अरविन्द थाना बालैनी जनपद बागपत।

2- का0 1101 सत्यवीर थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 08.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1. संजय पुत्र स्व० रमेश धामा निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री विकुल कुमार
2. है०का० 292 सिराज खान
3. का० 774 धर्मेन्द्र सिंह



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 08.09.22

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 387/22 धारा 279/304ए/
427 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 387/22 धारा 279/304ए/427 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सालिन्द्र सिंह पुत्र सन्तोख सिंह निवासी ग्राम तहारपुर कलां थाना छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मंजीत सिंह



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 08.09.2022

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 390/22 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक लूटेरे को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन रेडमी-9 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.09.22 को वादिया द्वारा सूचना दी कि दिनांक 07.09.22 दोपहर करीब 13.30 बजे मेरी भान्जी जो कि किसी कार्य हेतु डून्डाहेडा जा रही थी, रास्ते में अचानक एक युवक ने पीछे से आकर उसका मोबाइल फोन रेडमी-9 झपट्टा मारकर छीन लिया एवम उसके साथ मारपीट की । जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खेकडा पर मु0अ0सं0



390/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 390/22 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक लूटेरे को

गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन रेडमी-9 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. पवन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम नोरसपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- लूटा हुआ एक मोबाइल फोन रेडमी-9

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उपनि मौ आसिफ
- 2- का 1008 मिथुन कुमार
- 3- मका 785 प्रीति सिंह



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 08.09.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- संजीव पुत्र ओमसिंह निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- सचिन पुत्र संजीव निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3- बारू सिंह पुत्र उमराव निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4- श्रीमति सुमन पुत्री बारू सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमर सिंह
- 2-उ0नि0 श्री धीरज कुमार
- 3-का0 136 रोहित नागर
- 4-का0 23 अजयपाल



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनाँक 08.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 328/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 328/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों 1.सोनू उर्फ फुरकान 2. आदिल पुत्र गुलजार को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सोनू उर्फ फुरकान पुत्र मंजूर निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. आदिल पुत्र गुलजार निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व०उ०नि० श्री भुरेन्द्र सिंह

2-का० 395 ललित रोसा